भारतीय खाद्य निगम
Food Corporation of India
क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु, नंबर 10, ईस्ट एंड मेन रोड, जयनगर, बेंगलुरु-560041 ईमेल: gmka.fci@gov.in
Regional Office, Bengaluru No.10, East End Main Road, Jayanagar, Bengaluru-560041 Email: gmka.fci@gov.in

सं.हि.क./विविध / 2026 दिनाक: ई हस्ताक्षरित तिथि

To,

[redacted]

विषय / Sub: Information sought under the RTI, Act 2005 – Reg.
संदर्भ / Ref: RTI Request Registration number: FCIKA /R/E/26/00037 Date 28/07/2026.

With reference to RTI Application with the registration number referred above, the information pertaining to the points No. 1 to 05 are furnished hereunder:

Point No	Reply pointwise
1. Copies of all circulars, office orders, instructions and guidelines issued by the organization for implementation of Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022regarding the use of regional languages in public information displays, boards and nameplates.	A copy of the circular/instructions issued well before the said Office Memorandum regarding the use of regional languages in public information displays, boards, nameplates, etc., is enclosed herewith as **Annexure-I**.
2. Details of the action taken to ensure the use of Kannada in all public information displays, boards, nameplates, entrance boards, directional signages, reception displays and digital display boards installed at the offices and establishments of the organization located in Karnataka.	The Action Taken Report/Compliance Report, as referred to above, is enclosed herewith as **Annexure-II**.
3. Copies of inspection reports, compliance reports, internal audits or review reports prepared to verify implementation of Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022	

dated21.06.2022 in the offices and establishments of the organization located in Karnataka.	
4.Copies of file noting, correspondence and communications relating to corrective measures taken wherever noncompliance with Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated21.06.2022 was observed in the offices and establishments of the organization located in Karnataka.	Since compliance with the guidelines issued in this regard is being ensured, there have been no instances of non-compliance. Point 3 and 4 of **Annexure-III** may also kindly be referred to in this regard. Further, circulars pertaining to important guidelines regarding the implementation of the Official Language Policy have been issued from time to time to ensure compliance with **Rule 11 of the Official Language Rules, 1976 (as amended in 1987)**.
5. Details of the officer or department responsible for monitoring and ensuring compliance with Department of Official Language Office Memorandum No. 14013/04/2022 dated 21.06.2022 in the offices and establishments of the organization located in Karnataka	In accordance with **Rule 12 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976**, as amended from time to time in 1987, 2007 and 2011, the concerned Divisional/Head of Office is responsible for ensuring compliance with the Official Language Policy.

In view of the above, the RTI application is hereby disposed of. In case, the applicant is not satisfied with the information so provided, the applicant may prefer first appeal as per section 19(1) of RTI Act 2005 within 30 days to the First Appellate Authority whose details are as under.

Ramesh Nayak
First Appellate Authority
Food Corporation of India
Regional Office
No. 10, East End Main Road
Jayanagar, 4th 'T' Block
Bengaluru-560041.

Digitally signed by Punkeshwar Kumar Bihari
Date: 14-08-2026 11:38:28

Punkeshwar Kumar Bihari
Assistant General Manager (OL)
CPIO

हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थिति केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के बारे में।

agmhindika < agmhindika@fci.gov.in >

AGM Hindi RO Bangalore < agmhindika@fci.gov.in >

Tue, 10 Jan 2023 11:44:56 AM +0530

To "AGM OL"<agmhindisz@fci.gov.in>

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना हेतु- इस कार्यालय का नाम, महाप्रबंधक (कर्ना.), उप महाप्रबंधक (कर्ना.), उप महाप्रबंधक (संचालन) एवं उप महाप्रबंधक (लेखा) अधिकारियों की नाम पट्टिका त्रिभाषी (कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी) में है। साथ ही गृह व्यवस्था अनुभाग को यह सूचित किया गया है कि अब से जनता के लिए कोई भी प्रदर्शन बोर्ड त्रिभाषी (कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी) में ही मुद्रित किया जाए।

शुभकामनाओं सहित
With Regards

प्रबंधक (राजभाषा) / Manager(OL)
भारतीय खाद्य निगम / Food Corporation of India
क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office
बेंगलोर / Bangalore - 560041
कर्नाटक / KARNATAKA

"कृपया आवश्यक न होने पर प्रिंट न लें, पर्यावरण बचाएं ।
आने वाला कल हरा भरा होगा या काला, यह आप पर निर्भर करता है ।"

हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थिति केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के बारे में।

From : AGM Hindi RO Bangalore <agmhindika@fci.gov.in> Thu, Jan 12, 2023 10:58 AM

Subject : हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थिति केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के बारे में। 2 attachments

To : AGM OL <agmhindisz@fci.gov.in>

महोदय/ Sir,

उपरोक्त सूचनार्थ एवं आगे की कार्रवाही हेतु प्रेषित ।

कर्नाटक क्षेत्र

क्र.सं.	**कार्यालय का नाम**	**जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले प्रदर्शन बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के बारें में सूचना**	**टिप्पणी**
1	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरू	त्रिभाषी (कन्नड़- हिंदी- अंग्रेजी)	सभी मण्डल कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अनुभागों को यह निर्देश दिया गया है कि भविष्य में जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले प्रदर्शन बोर्ड, नामपट्ट त्रिभाषी (कन्नड़- हिंदी- अंग्रेजी) में ही लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
2	मण्डल कार्यालय, बेंगलुरू	त्रिभाषी (कन्नड़- हिंदी- अंग्रेजी)	
3	मण्डल कार्यालय, मैसूर	त्रिभाषी (कन्नड़- हिंदी- अंग्रेजी)	
4	मण्डल कार्यालय, शिमोगा	त्रिभाषी (कन्नड़- हिंदी- अंग्रेजी)	
5	मण्डल कार्यालय, रायचूर	त्रिभाषी (कन्नड़- हिंदी- अंग्रेजी)	
6	मण्डल कार्यालय, हुबली	त्रिभाषी (कन्नड़- हिंदी- अंग्रेजी)	

शुभकामनाओं सहित
With Regards

स.म.प्र.(राजभाषा)/ Asst. General Manager(OL)
भारतीय खाद्य निगम / Food Corporation of India
क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office
बेंगलोर / Bangalore - 560041
कर्नाटक / KARNATAKA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

“कृपया आवश्यक न होने पर प्रिंट न लें, पर्यावरण बचाएं।
आने वाला कल हरा भरा होगा या काला, यह आप पर निर्भर करता है।”

Attachment.pdf
1 MB

scan0940.pdf
239 KB

ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಎಂ ಹೆಚ್
Goutham Ganesh M H

भारतीय खाद्य निगम
Food Corporation of India
क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु, नंबर 10, ईस्ट एंड मेन रोड, जयनगर, बेंगलुरु-560041 ईमेल: gmka.fci@gov.in
Regional Office, Bengaluru No.10, East End Main Road, Jayanagar, Bengaluru-560041 Email: gmka.fci@gov.in

सं.हिं.क./वार्षिक कार्यक्रम/2026-27 दिनांक/Date: ई-हस्ताक्षरित तिथि

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 में निर्धारित लक्ष्यों पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा जांच बिंदु ।

Sub: Follow-up action and check points on targets set in Rajbhasha Annual Program 2026-27.

संदर्भ/ Ref.: 1. महाप्रबंधक (राजभाषा), भा.खा.नि., मुख्यालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या रा.भा. अनु./ वा.का. /8587 दिनांक 08.04.2026

*****

भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली ने उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन के "जांच बिंदुओ" को कड़ाई से लागू करने के निदेश दिए है ।

Food Corporation of India, Hqrs, New Delhi have instructed vide letter under reference cited, to implement Official Language Hindi "Check Points" strictly.

कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने के लिए भारत सरकार, राजभाषा विभाग द्वारा दिशा निर्देश एवं लक्ष्य निर्धारित करते हुए **वार्षिक कार्यक्रम 2026-27** जारी किया गया है। यह राजभाषा विभाग की वेबसाइट (www.rajbhasha.nic.in) पर भी उपलब्ध है। इसकी एक प्रति डाउनलोड करके कार्यालय की राजभाषा फाईल में रखी जाए।

In order to do the official work in Hindi, **Annual Program 2026-27** is issued by Dept.of Official Language, Govt. of India, setting guidelines and targets. It is available on website of Dept. of Official Language (www.rajbhasha.nic.in). Please download a copy of the same and keep it in Rajbhasha file of office.

वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 में दी गईं मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई हेतु **जांच बिंदु** निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :
The **check points** for follow-up action on the items given in the Annual Program 2026-27 are as follows:

क्रम संख्या Sl.No.	**अनुवर्ती कार्रवाई / Follow-up action**	**जांच बिंदुएं / जिम्मेदारी Check Points / Responsibilities**
1.	धारा 3(3) के तहत् कार्यालय आदेश, परिपत्र, करार, संविदाएं, निविदा सूचना, निविदा फार्म, सभी प्रकार के रिपोर्ट आदि द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं । (100%) Under Section 3 (3) office orders, circulars, contracts, tender notices, tender forms, all types of reports, etc. should be issued in bilingual. (100%)	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी Signatory officer

2.	धारा 3(3) के अंतर्गत कार्यालय आदेश, परिपत्र, निविदा सूचनाएं द्विभाषी रूप में ही फाईल करें। यदि ये दस्तावेज केवल अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं, तो इसकी हिंदी/ द्विभाषी प्रति की भी मांग ई-मेल द्वारा की जाए और उक्त ई-मेल का रिकॉर्ड रखा जाए। Keeping bilingual copy of documents under Sec 3 (3) i.e. office orders, circulars and tender notices in file. If received only in English, Hindi / Bilingual version of should also may be demanded by e-mail and a record	ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने वाले अधिकारी Officials receiving such documents

	of the said e-mail should be maintained.	
3.	नामपट्ट, डिस्प्ले बोर्ड, वृक्षारोपण बोर्ड, सूचना पट्ट, लॉग बुक, पत्र शीर्ष, लिफाफे, मानक मसौदें, फार्म, रबड़ की मोहरें, बैनर, सूचना पर्ची, आमंत्रण पत्र, विजिटिंग कार्ड, लेखन सामग्री पर प्रिंटिंग, वाहनों पर विवरण, शील्ड/ट्रॉफी पर विवरण आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी में बनवाएं जाएं। Name plates, display boards, plantation boards, notice boards, log books, letter heads, envelopes, standard drafts, forms, rubber stamps, banners, pamphlets, invitation cards, visiting cards, printing on stationeries, details on the vehicles, details on Shield / trophies etc. may invariably be made in bilingual.	गृह व्यवस्था विभाग House Keeping Dept.
4.	सभी बैठकों की कार्यसूची/कार्यवृत्त/नामपट्ट/बैनर द्विभाषी रूप में तैयार करना। Preparing Agenda/Minutes/Name Plates/ Banners of all meetings in bilingual	संबंधित बैठक संयोजनकर्ता Respective Meeting Co-ordinator
5.	हिंदी में प्राप्त /हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाए। (100%) All Letters received in Hindi/signed in Hindi must be replied in Hindi. (100%)	हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी Signatory officer
6.	सभी रजिस्टरों/ फाइलों के विवरण द्विभाषी में लिखे जाएं तथा प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं। Details of all the registers / files may be written in Bilingual and entries may be made in Hindi	विभाग प्रमुख HOD

7.	सभी विज्ञापन (जैसेकि भर्ती सूचनाएं, सार्वजनिक सूचनाएं, निविदा सूचनाएं) अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिंदी में तथा फ्लायर (जैसेकि शुभकामना संदेश, पोस्टर आदि), प्रकाशन (जैसेकि आंतरिक पत्रिकाएं व अन्य रिपोर्टें, ब्रोशर आदि) भी अनिवार्य रूप से हिंदी व अंग्रेजी में प्रकाशित की जाएं। All advertisements (i.e. recruitment notices, public notices, tender notices) must be published in Hindi along with English and regional language publications and flyers (i.e. greetings, posters etc.)	कार्मिक /जनसंपर्क/ गृह व्यवस्था विभाग Pers./PR/HK Dept.
8.	हिंदी में पत्राचार (न्यूनतम 60% और उससे अधिक) Correspondence in Hindi (Minimum 60% & above)	सभी अनुभाग अधिकारी All Section Officers
9.	ई-ऑफिस पर हिंदी में टिप्पणी (न्यूनतम 35% और उससे अधिक) Writing notings in Hindi on E-Office (Minimum 35% & above)	सभी अधिकारी/कर्मचारी All Officers/employees
10.	'क' एवं 'ख' क्षेत्रों को भेजे जानेवाले लिफाफों पर पते हिंदी में Address in Hindi on all the letters sent to Region "A" & "B"	डाक प्रेषण कर्ता Dispatcher
11.	निजी फाईलों में विवरण तथा प्रविष्टियां द्विभाषी रूप में करना। Details and entries in personal files in bilingual	कार्मिक – स्था.II अनुभाग Pers. - E-II Section हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी Signatory officer
12.	सभी कंप्यूटरों पर हिंदी यूनिकोड सक्रीय करना, हिंदी टाइपिंग टूल और व्याएस टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध करवाना।	

	Enabling Hindi Unicode and making available facility of Hindi Typing Tools and Voice Typing on all computers.	आई टी विभाग IT Dept.
13.	द्विभाषी रूप में वेबसाइट तैयार करना तथा उसमें सूचनाएं उपलब्ध करवाना Preparing website and posting information thereon in Bilingual	आई टी विभाग IT Dept.
14.	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रमुख सहित राजभाषा अधिकारी का उपस्थित होना। Attending Town Official Language Implementation (TOLIC) meetings by Head of Office along with Rajbhasha Officer.	कार्यालय प्रधान Head of Office

15.	प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित करना। Conducting Official Language Implementation Committee (OLIC) meeting in every quarter.	राजभाषा अनुभाग Official Language Section
16.	प्रत्येक तिमाही में हिंदी कार्यशाला आयोजित करना। Conducting Hindi Workshop in every quarter.	राजभाषा अनुभाग Official Language Section
17.	कार्यालय के सभी अनुभागों द्वारा हिंदी में किए गए कार्य का निरीक्षण करना। Inspection of work done in Hindi by all sections of office.	राजभाषा अनुभाग Official Language Section
18.	कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ प्रशिक्षण) प्रदान कराने की व्यवस्था करना। To make arrangements for provide working knowledge of Hindi (Prabodh, Praveen, Pragya training) to the employees.	राजभाषा अनुभाग Official Language Section
19.	कार्यालय के कुल अनुभागों में से न्यूनतम 30% अनुभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण सुनिश्चित करना । To ensured that Official Language inspections are carried out in a minimum of 30% of the total sections of this office.	राजभाषा अनुभाग / हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी OL Section/ Signing Authority
20.	कुल अधिनस्थ कार्यालयों का न्यूनतम 30% राजभाषा संबंधी निरीक्षण सुनिश्चित करना । To ensure that Official Language inspections are carried out in a minimum of 30% of the total subordinate offices.	राजभाषा अनुभाग / हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी OL Section/ Signatory officer

राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी अनुभाग अधिकारी उपरोक्त जांच बिंदुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें ताकि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षणों के दौरान निगम की उज्जवल छवि प्रस्तुत की जा सके।

For effective implementation of Official Language Policy, all the Section Officers must ensure strict compliance of the above-mentioned check points so that a good image of the Corporation can be presented during the inspections of the Parliamentary Official Language Committee.

भवदीय

Digitally signed by
Punkeshwar Kumar Bihari
Date: 25-05-2026
10:35:02

सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
कृते महाप्रबंधक (कर्नाटक)

सेवा में/To,

1. सभी अनुभाग / विभाग अध्यक्ष, भा.खा.नि. क्षे.का.बेंगलुरू.....सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
All Sec/Div.Heads in FCI, RO, Bangalore.... for information and taking necessary action.

-5-

2. महाप्रबंधक (कर्ना) के निजी सचिव, उप-महाप्रबंधक (कर्ना. / संचालन/ वि व ले), के निजी सहायक भा.खा.नि., क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु.....सूचनार्थ ।
PS to GM (KTK), PA to DGM (KTK/Oprs/F&A), FCI, RO, Bangalore...for kind information.

प्रतिलिपि /Copy to :

1. महाप्रबंधक (राजभाषा), आंचलिक कार्यालय (दक्षिण), चेन्नै.....सूचनार्थ
The General Manager (Rajbhasha), FCI, ZO(S), Chennai..... for kind information.

2. मंडल प्रबंधक, भा.खा.नि.,मंडल कार्यालय बेंगलुरु/मैसूरू/शिवमोगा/हुब्बल्लि/रायचूर .... समरुप एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
The Divisional Manager, FCI, DO, Bengaluru/Mysoru/Shivamogga/Hubballi/Raichur ..... for similar & necessary action.

3. सूचना बोर्ड / Notice board.

4. गार्ड फाईल/Guard file.

ಗೌತಮ್ ಗಣೇಶ್ ಎಂ ಹೆಚ್
Goutham Ganesh M H

अनुस्मारक/अति तत्काल

फा.सं. ई-12016/1/2017-हिंदी (341265)
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खादय और सार्वजिनक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 05 जनवरी, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के बारे में।

कृपया उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग के दिनांक 7 दिसंबर, 2022 के अ.शा. पत्र सं. 14013/04/2022-राजभाषा (नीति) (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें और इस संबंध में विभाग के दिनांक 01 जुलाई 2022 के कार्यालय ज्ञापन (प्रति संलग्न) का संदर्भ लें।

चूंकि अभी तक विभाग को संबदध/अधीनस्थ/नियंत्रणाधीन कार्यालयों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, अत: पुन: अनुरोध है कि आप अपने कार्यालयों के संबंध में इस विभाग को दिनांक 06.01.2023 तक सूचित करें ताकि अपेक्षित जानकारी से राजभाषा विभाग को समयानुसार अवगत कराया जा सके।

संलग्नक: यथोक्त।

05/1/23
(देवेन्द्र एस. उईके)
उप सचिव (इंपेक्स एवं राजभाषा)

सेवा में,

1. खादय और सार्वजनिक वितरण विभाग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्तशासी संगठन, निगम आदि।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

श्रीमती मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

अति तत्काल

फा.सं. ई-11015/2018-हिंदी (350486)
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजिनक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 01 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के बारे में।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 21.06.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14013/04/2022-रा.भा. (नीति) (प्रति संलग्न) के द्वारा यह सूचित किया गया है कि राजभाषा विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि हिन्दीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। इस मामले को माननीय सांसद द्वारा संसद में भी उठाया गया है।

अत: इस संबंध में संबद्ध/अधीनस्थ/नियंत्रणाधीन कार्यालयों से अनुरोध है कि किए जा रहे अनुपालन की स्थिति के संबंध में इस विभाग को दिनांक 05.07.2022 तक सूचित करें ताकि अपेक्षित जानकारी से राजभाषा विभाग को समयानुसार अवगत कराया जा सके।

संलग्नक: यथोक्त।

01/7/22
(देवेन्द्र एस. उईके)
उप सचिव (इंपेक्स एवं राजभाषा)

सेवा में,

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय, नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्तशासी संगठन, निगम आदि।

अ.शा.पत्र स.14013/04/2022-राजभाषा(नीति)

डॉ० मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव
DR. MEENAKSHI JOLLY
JOINT SECRETARY
Telefax : 23438130
E-mail : jsol@nic in

सत्यमेव जयते

आजादी का अमृत महोत्सव

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
राजभाषा विभाग
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन,
4th FLOOR, N.D.C.C.-II BHAWAN,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
JAI SINGH ROAD, NEW DELHI-110001

आदरणीय महोदय/महोदया,

07 DEC 2022
दिनांक 01.12.2022

कृपया राजभाषा विभाग के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 21.06.2022 (प्रतिलिपि संलग्न) का अवलोकन करें। उक्त कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से हिंदीतर भाषी क्षेत्रों अर्थात 'ख' एवं 'ग' भाषा-क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग से संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को शीघ्र अवगत कराने का अनुरोध किया गया था।

2. आपके ध्यान में लाना है कि आपके मंत्रालय/विभाग से अनुपालन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गयी है।

3. आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त के संबंध में अपने मंत्रालय/विभाग की अनुपालन रिपोर्ट मंत्रालय/विभाग स्तर पर समेकित करके राजभाषा विभाग को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)
21 DEC 2022
डायरी संख्या....537298.....
किस शाखा/अनुभाग को भेजा.....

शुभेच्छु,
मीनाक्षी जौली

(डॉ. मीनाक्षी जौली)

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशासन/राजभाषा प्रभारी)
(संलग्न सूची के अनुसार)

JS (Impex)

22/12/22
उ.सि. (रा.भा.) - प्रभारी

उ.स. (रा.भा.)

Urgent
DSCO2

22/12/22



14013/04/2022-रा०भा०(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

C1/13

चौथा तल, एनडीसीसी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01
दिनांक 21.06.2022

22 JUN 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के बारे में।

राजभाषा विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। इस मामले को माननीय सांसद द्वारा संसद में भी उठाया गया है

2. इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा उपर्युक्त विषय के संबंध जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन सं० 1/14013/5/76-रा०भा०(क-1) दिनांक 18.06.1977 का संदर्भ लें (प्रतिलिपि संलग्न)। इस कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्डों, नामपट्टों आदि में क्रमवार क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों को समय-समय पर कार्यालय ज्ञापन सं० 1/14013/03/2010-रा.भा.(नीति-1) दिनांक 01.07.2010, का० ज्ञा० सं० 14013/07/2010-रा.भा.(नीति) दिनांक 07.04.2011 और का० ज्ञ० सं० 14013/07/2010-रा.भा.(नीति) दिनांक 28.04.2017 के द्वारा परिचालित भी किए गए हैं।

3. अतएव, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन दिशा निर्देशों का हिंदीतर भाषी राज्यों में स्थित अपने सभी कार्यालयों (संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों। नियंत्रणाधीन/ स्वामित्व वाली कंपनियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि सहित) द्वारा किए जा रहे अनुपालन की स्थिति से राजभाषा विभाग को 09.07.2022 तक अवगत करवा दें।

संलग्नक : यथोक्त

मीनाक्षी जौली

(डॉ० मीनाक्षी जौली)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011-23438130

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के संयुक्त सचिव (प्रशा.)


ಭಾರತ ಆಹಾರ ನಿಗಮ
भारतीय
खाद्य
निगम
FOOD
CORPORATION
OF INDIA
PROVIDING FOOD SECURITY TO THE NATION


भारतीय खाद्य निगम
FOOD CORPORATION OF INDIA
ಬಿ.ಓ. ಮಹೇಶ್ವರಪ್ಪ
बी.ओ. महेश्वरप्पा
B.O. MAHESHWARAPPA
ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕರ್ನಾಟಕ)
महाप्रबंधक (कर्नाटक)
General Manager (Karnataka)


भारतीय खाद्य निगम
CORPORATION OF INDIA
FOOD
ಶೇಖರ್ ಅರವಿಂದ್
शेखर अरविंद
SHEKHAR ARVIND
ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಪ್ರದೇಶ)
उप महाप्रबंधक (क्षेत्र)
Deputy General Manager (Region)


भारतीय खाद्य निगम
CORPORATION OF FOOD INDIA
ಕ್ಷಿತಿಜ್
क्षितिज
KSHITIJ
ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕ)
उप महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)
Deputy General Manager (Fin. & A/cs.)


भारतीय खाद्य निगम
CORPORATION OF INDIA
FOOD
ರಮೇಶ ನಾಯಕ
रमेश नायक
RAMESH NAYAK
ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ)
उप महाप्रबंधक (संचालन)
Deputy General Manager (Operations)

FCI HQ-VIG023/8/2023-VIG

I/1718389/2024

महत्त्वपूर्ण सूचना
Important Notice

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ 1988ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಮತ್ತು 8ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ನೀಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, 7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಛೇರಿಯ ಯಾರಾದರೂ ಲಂಚ ಕೇಳಿದರೆ ಲಂಚ ನೀಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಕರ್ನಾಟಕ), ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಛೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಜಾಗೃತ), ವಲಯ ಕಛೇರಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ:- ಸಿವಿಸಿಯ ದೂರು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ದೂರುದಾರನು ದೃಢೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ / ಅವಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೂರನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

भ्रष्टाचार निवारणअधिनियम, 1988 की धारा 7 और 8 के तहत - रिश्वत लेना और देना (दोनों) दंडनीय अपराधहै। इस अपराधके लिए 7 साल तक की जेल और जुर्माना भी लग सकता है।
यदि इस कार्यालय का कोई व्यक्ति रिश्वत मांगे तो रिश्वत न दें। यदि आपके पास इस कार्यालय में भ्रष्टाचार के बारे में कोई जानकारी है या यदि आप भ्रष्टाचार के शिकार हैं, तो आप महाप्रबंधक (कर्नाटक), क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु या महाप्रबंधक (सतर्कता), क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई में शिकायत कर सकते हैं।

नोट:- सीवीसी के नियमों के अनुसार, शिकायतकर्ताको प्रमाणीकरणके उद्देश्य से अनिवार्यतः अपने नाम और डाक पते के साथ शिकायत दर्जकरनी होगी। अन्यथा शिकायत की जांच नहीं की जाएगी।

UNDER SECTION 7 AND 8 OF PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 - BOTH TAKING AND GIVING BRIBE IS A PUNISHABLE OFFENCE WITH IMPRISONMENT UPTO 7 YEARS AND ALSO FINE.

DO NOT PAY BRIBE IF ANYBODY OF THIS OFFICE ASKS FOR BRIBE. IF YOU HAVE ANY INFORMATION ON CORRUPTION IN THIS OFFICE OR IF YOU ARE A VICTIM OF CORRUPTION, YOU CAN COMPLAIN TO THE GENERAL MANAGER (KARNATAKA), REGIONAL OFFICE BENGALURU OR GENERAL MANAGER (VIGILANCE), ZONAL OFFICE CHENNAI.

Note:- As per the complaint handling mechanism of CVC, the complainant must lodge the complaint with his/her name and postal address for the purpose of authentication , else the complaint will not be investigated.

ಮುಖ್ಯ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಸಿವಿಓ)
ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯ ನಿಗಮ
16-20, ಬಾರಾಖಾಂಬ ಲೇನ್
ನವದೆಹಲಿ – 110001
ಫೋನ್: 011- 43527503, 43527505
ಇ-ಮೇಲ್: edv.fci@gov.in

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಕೇಂದ್ರ ಜಾಗೃತ ಆಯೋಗ (ಸಿಬಿಐ)
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಶಾಖೆ (ಎಸಿಬಿ)
ನಂ.36, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಗಂಗಾನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 032
ಫೋನ್: (080) 23332726, 23331026, 23630288
ಇ-ಮೇಲ್: hobacblr@cbi.gov.in

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು (ಜಾಗೃತಿ)
ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯ ನಿಗಮ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ: ನಂ.3, ಹ್ಯಾಡೋಸ್ ರಸ್ತೆ
ಥೌಸನ್ಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್, ಚೆನ್ನೈ – 600006
ಫೋನ್: 044-2827867
ಇ-ಮೇಲ್: gmvigsz@fci.gov.in

मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ)
भारतीय खाद्य निगम
16-20, बाराखम्बा लेन
नई दिल्ली - 110001
फोन: 011-43527503, 43527505
ई-मेल: edv.fci@gov.in

पुलिस अधीक्षक
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी)
सं.36, बेल्लारी रोड, गंगा नगर, बेंगलूरु-560032
फोन: (080) 23332726, 23331026, 23630288
ई-मेल: hobacblr@cbi.gov.in

महाप्रबंधक (सतर्कता)
भारतीय खाद्य निगम
ऑचलिक कार्यालय : सं.3, हैडोज़ रोड
थाउजेंड लाइटस वेस्ट, चेन्नई – 600006
फोन: 044-2827867
ई-मेल: gmvigsz@fci.gov.in

Chief Vigilance Officer (CVO)
Food Corporation of India
16-20, Barakhamba Lane
New Delhi -110001
Ph : 011-43527503 43527505
e-mail : edv.fci@gov.in

Superintendent of Police
Central Bureau of Investigation (CBI)
Anti Corruption Branch (ACB)
No.36, Bellary Road, Ganganagar, Bengaluru - 560032
Ph : (080) 23332726, 23331026, 23630288
e-mail : hobacblr@cbi.gov.in

General Manager (Vigilance)
Food Corporation of India
Zonal Office : No.3, Haddows Road
Thousand Lights West, Chennai - 600006
Ph : 044-2827867
e-mail : gmvigsz@fci.gov.in